कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

फोन नं0—05944—240071

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

दिनांक मार्च 06, 2021

पत्रांकः न—3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2021

प्रधानाचार्य
राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत
कनालगॉव चम्पावत।

विषय :— अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन के अनुसार राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत कनालगॉव चम्पावत की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि मानक के अनुसार संस्थान में 90 दिवस के भीतर संस्थान में 10 हजार लीटर क्षमता का टैरेस टैंक, टैरेस पम्प क्षमता 450 लीटर प्रति मिनट, मानकानुसार प्रत्येक तल निर्धारित दूरी पर होजरील, प्रत्येक 200 वर्गमी0 आच्छादित क्षेत्रफल पर एक की दर से फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत कनालगॉव चम्पावत द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाऐं सुनिश्चित किए जाने की स्थिती में ही यह अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :—

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 4.5किग्रा क्षमता अन्य लैब में 01 अदद एबीसी क्षमता 05 किग्र व 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्र तथा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Self Attested

प्रधानाचार्य
आदर्श विद्यालय
रा० इ० का० चम्पावत
(उत्तराखण्ड)